

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 3448 / 2003 / हनुमानगढ

1. देवीलाल
2. लाजपतराम
3. सुभाष
पुत्रान सुरजाराम जाति जाटान
4. मु. बादो बेवा आत्माराम
5. दलीप
6. सतपाल
पुत्रान आत्माराम जाति जाटान
समस्त निवासीगण ललनाबास नथवानिया तह. नोहर जिला हनुमानगढ
....अपीलांट्स

बनाम

1. बगडावत सिंह पुत्र तनसुखराम जाति जाट साकिन ललनाबास
नथवानिया तह. नोहर जिला हनुमानगढ
...रेस्पोजेन्ट
2. रामकुमार
3. संतलाल
पुत्रान भैराराम जाति ब्राहमण सा. ललनाबास नथवानिया
तह. नोहर जिला हनुमानगढ
4. राजेन्द्र पुत्र मुलाराम जाति जाट साकिन ललनाबास नथवानिया
तह. नोहर जिला हनुमानगढ
.....तरतीबी रेस्पोजेन्ट्स

(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 3772 / 2003 / हनुमानगढ

1. सन्तलाल पुत्र भैराराम
2. रामकुमार पुत्र भैराराम
समस्त जाति ब्राहमण निवासी ललानाबास नथवानिया
तह. नोहर जिला हनुमानगढ
....अपीलांट्स

बनाम

1. बगडावत सिंह पुत्र तनसुखराम
2. देवीलाल
3. लाजपतराम

4. सुभाष
पुत्रान सुरजाराम
5. मु. बादो बेवा आत्माराम
6. दली पुत्र आत्माराम
7. सतपाल पुत्र आत्माराम
8. राजेन्द्र पुत्र मूलाराम
समस्त जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया
तह. नोहर जिला हनुमानगढ
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ
.....रेस्पोजेण्डेण्ट्स

खण्ड पीठ
श्री वी० श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित—

(1) अपील संख्या 3448/2003 में—

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांत
श्री प्रदीप विश्नोई, अभि० रेस्पोजेण्डेण्ट सं० 1
श्री राजेश गौतम, अभि० रेस्पोजेण्डेण्ट सं० 2 व 3
रेस्पोजेण्डेण्ट सं० 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

(2) अपील संख्या 3772/2003 में—

श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अपीलांत
श्री प्रदीप विश्नोई, अभि० रेस्पोजेण्डेण्ट सं० 1
श्री योगेन्द्र सिंह, अभि० रेस्पोजेण्डेण्ट सं० 2 से 7
श्री राजेन्द्र रेस्पोजेण्डेण्ट सं० 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 11-6-2018

1. यह दोनों अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 112/2002 व 122/2002 में दिनांक 26-6-2003 को पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष उक्त दोनों अपीलें वाद संख्या 133/98 अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23-8-2002 के

विरुद्ध प्रस्तुत की गई थीं। दोनों अपीलों के तथ्य एवं विषय-वस्तु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. वादी बगडावत सिंह ने उक्त वाद पत्र में यह उल्लेख किया था कि उसकी व अन्य हिस्सेदारान की संयुक्त भूमि का बंटवारा होने पर वादी को साबिका खसरा नंबर 120 व 129 में कुल 34 बीघा 16 बिस्वा जमीन मिली थी। इन दोनों खेतों की भूमि गत पैमाइश में नये खसरान में तब्दील हुई, जिसके अनुसार वादी के खेत तादादी 20.6 बीघा के हाल नये खसरा नंबर 179 रकबा 17.12 बीघा, खसरा नंबर 183 में 2.8 बीघा व 180 में 0.6 बीघा मुर्तिब हुए और खेत तादादी 32.16 बीघा के हाल खसरा नंबर 142 रकबा 28.19 बीघा व 195 की पश्चिमी 3.17 बीघा हुए हैं। वादी के खेत तादादी 20.6 बीघा में अब 0.6 बीघा रास्ता गुजरता है तथा बाकी रास्ता वादी के खेत पडोसी आदू के खेत में से गुजरता है। गत पैमायश में जमाबंदी संवत् 2029 ता 2038 में वादी की 2.8 बीघा भूमि को प्रतिवादी नं01 ने अपने खेत के नये खसरा नंबर 183 में मिलवाकर अपने नाम दर्ज करवा लिया है। इसी तरह साबिका खसरा नंबर 129 की शेष भूमि तादादी 3.17 बीघा को प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने अपने खेत के हाल खसरा नंबर 195 में अपने नाम दर्ज करवा लिया है। अतः वाद पेश कर निवेदन किया गया है कि घोषणा इस आशय कि जारी की जावे कि आराजी हाल खसरा नंबर 183 की पश्चिम 2.8 बीघा व हाल खसरा नंबर 195 की दक्षिणी पश्चिमी 3.17 बीघा वाके रोही मौजा ललानाबास नथवानिया वादी के खेत का जुज है और वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के नाम उक्त भूमि गलत व अवैध तौर से दर्ज की गई है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के नाम से कलमजन कर वादी के नाम बतौर खातेदारी दर्ज की जावे। प्रतिवादी नं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह वादी की भूमि खसरा नंबर 183 की पश्चिमी 2.8 बीघा में मदालखत बेजा न करे। प्रतिवादी नं0 3 व 4 को आराजी खसरा नंबर 195 की दक्षिणी पश्चिमी 3.17 बीघा से बेदखल किया जावे। प्रतिवादीगण ने पृथक-पृथक जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी को साबिक खसरा नंबर 179 रकबा 33 बीघा भूमि ही बाहमी बंटवारा में प्राप्त हुई थी न कि 34.16 बीघा भूमि। हाल खसरा नंबर 183 रकबा 18.2 बीघा भूमि

प्रतिवादी नंबर 1 के नाम सही दर्ज की गई है तथा इतनी ही भूमि हमेशा से कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादी की भूमि प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज नहीं हुई है। प्रतिवादी नं01 साबिका खसरा नंबर 120 रकबा 18 बीघा हाल खसरा नंबर 183 रकबा 18.2 बीघा भूमि को काश्त करता आ रहा है अगर वादी की जमीन कम दर्ज हुई है तो उसे आदू के खिलाफ दावा करना चाहिये था जिसे बाहमी बंटवारा में 27.9 बीघा प्राप्त हुई थी तथा अब उसके नाम 32.14 बीघा दर्ज होकर आई है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियात कायम करने के पश्चात दोनों पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध की तथा वादी का वाद निर्णय दिनांक 23-8-2002 के द्वारा डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रतिवादीगण ने पृथक पृथक दो अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की, जिन्हें आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 26-6-2003 के द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः यह दोनों अपीलें मण्डल के समक्ष पेश हुई हैं।

3. उभय पक्ष बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण/अपीलांट्स की दलील है कि वादी की साक्ष्य से उसका वाद साबित नहीं होता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने मात्र इस आधार पर वादी का वाद डिक्री किया है कि प्रतिवादी ने यह अभिवचन किया था कि यदि वादी की जमीन कम हुई है तो उसे आदू नाम के व्यक्ति के विरुद्ध वाद पेश करना चाहिए। प्रतिवादी के इस अभिवचन को किसी भी रूप में उसकी Admission के रूप में स्वीकार करते हुए वाद डिक्री नहीं किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय का निर्णय Non-speaking है। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह बखूबी साबित है कि प्रतिवादीगण उतनी जमीन पर काबिज काश्त है, जितनी उन्हें घरू बंटवारा में मिली थी। अतः अपीलें स्वीकार की जाकर आक्षेपित दोनों निर्णय व डिक्री अपास्त किये जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता वादी ने उक्त दलीलों का विरोध किया है। उनका कहना है कि आक्षेपित निर्णय व डिक्रीयां विधि सम्मत होने से अपीलें खारिज की जावें।

6. उक्त दलीलों पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. विद्वान विचारण न्यायालय एवं विद्वान प्रथम अपील न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष है कि वादी को आपसी बंटवारा में खसरा नंबर 120 व 129 की कुल 32.16 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी तथा गत पैमाइश में खसरा नंबर 120 की 20.6 बीघा भूमि हाल खसरा नंबर 179 (17.12 बीघा) व खसरा नंबर 183 (2.8 बीघा) व खसरा नंबर 180 (0.6 बीघा) में पैमूद हुई थी। जमाबंदी संवत् 2039 से 2038 में हाल खसरा नंबर 179 की 17.12 बीघा व खसरा नंबर 142 की 28.19 बीघा कुल 46.11 बीघा सही दर्ज की गई परन्तु शेष भूमि 2.8 बीघा सुरजाराम के नये खसरा नंबर 183 में मिलाकर गलत रूप से उसके नाम दर्ज की गई है तथा खसरा नंबर 129 की 3.17 बीघा भूमि को रामकुमार व संतलाल प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार सही हैं तथा इन निष्कर्षों पर पहुंचने में किसी प्रकार की तात्त्विक त्रुटि नहीं की गई है। इस मामले में विधि का कोई सारभूत प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में इस द्वितीय अपील में हस्तक्षेप लायक गुंजाईश नहीं होने से अपीलें काबिले खारिज हैं।

8. लिहाजा अपीलांट्स देवीलाल आदि तथा संतलाल आदि द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आक्षेपित निर्णय व डिक्री बहाल रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(वी० श्रीनिवास)
अध्यक्ष